

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

आदेश संख्या: UPFS/2023/79013/MTH/MATHURA/2109/CFO

दिनांक: 11-04-2023

स्थापित किया जाता है कि मेसर्स Chaudhary Narottam Singh International School (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता KHASARA 1279,VILLAGE GARHI
LASHIYA NENHUPATTU SONKH, MATHURA तहसील - GOVERDHAN, प्लॉट एरिया 8350.00 sq.mt , कुल कवर्ड एरिया 3042.42 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या

1 बिल्डिंग

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
School	2	0	07.00 mt.

1। भवन का अधिभोग मेसर्स Chaudhary Narottam Singh International School द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, फायर/एवरी एवं तंबाकू/भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशामन अधिकारी द्वारा दिनांक 10-08-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री ELAM SINGH के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रशगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 12-08-2023 से 11-08-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के अधीन निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशामन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशामन व्यवस्थाओं में हरी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स Chaudhary Narottam Singh International School अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स Chaudhary Narottam Singh International School अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : In view of the recommendation report of fso. The NOC is being issued यह प्रमाण पत्र मानचित्र में इंगित भवन के लिए निर्गत किया जा रहा है, शासनादेश सं0-18/उ-पु0-8-2022/905(34)2016 टी0सी0 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक-07-1-2022 के अनुपालन में सेटबैक की अनिवार्यता एवं तदनुसार उपलब्धता के सम्बन्ध में निर्णय सम्बंधित सत्ता प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि(बिल्डिंग बायलाइन) के अनुसार लिया जायेगा, भवन में अधिस्थापित अग्निशामन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील रखने की जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबन्धक की होगी अन्यथा की स्थिति में यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशामन अधिकारी)



Digitally Signed By
(NARENDRA PRATAP SINGH)

[DD6CB058D3E6F9A8D457DA98CCAD7C67FC311E26]

12-08-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 12-08-2023
स्थान : MATHURA

Principal

ChS International School
Gama Ashiya, Sonkh, Mathura

Secretary

ChS International School
Gama Ashiya, Sonkh, Mathura